

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------

25/10 पत्रावली पेश हुई। जज फकीर
अन्य राजकीय/अवकाश संबंधी
संग अधिकांश 2010 में बयान है।
पत्रावली अंतिम आवेद कि 4/15/18
की पेश हो।

4/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत
2018 में पेश हुई। राजीनामा
नहीं हुआ। पत्रावली पूर्वानुसार
दि. 13.12.18 को पेश हो।

13/18 पत्रावली पेश हुई। जज फकीर
अन्य राजकीय/अवकाश संबंधी
संग अधिकांश 2010 में बयान है।
पत्रावली अंतिम आवेद कि 23/7/18
की पेश हो।

23/18 पत्रावली पेश हुई। जज फकीर
अन्य राजकीय/अवकाश संबंधी
संग अधिकांश 2010 में बयान है।
पत्रावली अंतिम आवेद कि 16/8/18
की पेश हो।

16-8-18 वकुलाम उपा. P.D. डाक्टर । पत्रावली कि
15-11-18 की पेश हो
3

15/18 पत्रावली पेश हुई। जज फकीर
अन्य राजकीय/अवकाश संबंधी
संग अधिकांश 2010 में बयान है।
पत्रावली अंतिम आवेद कि 30-1-19
की पेश हो।

30-1-19 वकुलाम उपा. डाक्टर P.D. रिपोर्ट पर उपर्युक्त
को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी का वाद
अन्याय विचार जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठक
के लिफाफे में शामिल पत्रावली (3) पत्रावली
फैमिली शुमार वरन् नम्बर से कम ही तथा
दफ्तर दाखिल है।

उपस्थित अधिकारी
निवाड़ी

उत्तर दि.

दि. 19.12.18

लिखित
पेश हो
3

P.D.

पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इबतदाई)
(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ)

उनवान
रामचन्द्रा पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक
- वादी

- बनाम
1. फूला पत्नि हजारीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजपुरा पोस्ट कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर
 2. केसरा पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील निवाइ जिला टोंक
 3. तहसीलदार निवाइ
 4. उपपंजीयक निवाइ

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :- 64/2014

तहसीलदार निवाइ से प्राप्त कूरेंजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम दामोदरपुरा में स्थित वादवर्णित भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. रामचन्द्र पुत्र ग्यारसा कोम बैरवा सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
दामोदरपुरा	273/1	2-05

2. मीरा पत्नि सुखराम हि. 1/3 बृजपुरा कोथून तह. चाकसू केसरा पुत्र रामनाथ कोम बैरवा सा. देह हि. 2/3

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
दामोदरपुरा	273/2	3-05
दामोदरपुरा	272	2-18
दामोदरपुरा	274	0-15

तहसीलदार निवाइ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

31 30/1/19
उपखण्ड अधिकारी
निवाइ निवाइ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :-64/2014
निर्णय दिनांक:-30.01.19

उनवान

रामचन्द्रा पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील निवाड़ जिला टोंक
- वादी

बनाम

1. फूल पत्नि हजारीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बृजपुरा पोस्ट कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर
2. केसरा पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम दामोदरपुरा तहसील निवाड़ जिला टोंक
3. तहसीलदार निवाड़
4. उपपंजीयक निवाड़

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित- श्री रामकल्याण पूनियां वकील वादी
श्री पुरुषोत्तम शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय

तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त कूर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ग्राम दामोदरपुरा में स्थित वादवर्णित भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. रामचन्द्र पुत्र ग्यारसा कोम बैरवा सा. देह

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
दामोदरपुरा	273/1	2-05

2. मीरा पत्नि सुखराम हि. 1/3 बृजपुरा कोथून तह. चाकसू केसरा पुत्र रामनाथ कोम बैरवा सा. देह हि. 2/3

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
दामोदरपुरा	273/2	3-05
दामोदरपुरा	272	2-18
दामोदरपुरा	274	0-15

तहसीलदार निवाड़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे। यह निर्णय आज दिनांक 30.01.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31 30/1/19
हरिताम कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाड़